UPSI010012492026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश,सीतापुर।
प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या 28/2026
सी.आई.एस.नं0 34/2026

राम स्वरूप आदि बनाम बलविन्दर कौर आदि।

दिनॉक 07.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3क1 प्रार्थी राम स्वरूप आदि द्वारा इस आशय से दिया गया है कि दिनॉक 10.02.26 को विपक्षी संख्या 2 गुंजन सेठ के पति सलिल सेठ एडवोकेट को सिविल जज (जू0डि0) बिसवॉ के विश्राम कक्ष में जाते हुये देखा है इसलिये प्रार्थीगण को उक्त न्यायालय से न्याय मिलने की आशा नही है। उक्त आधार पर दीवानी वाद संख्या 427/23 बलविन्दर कौर बनाम राम स्वरूप आदि को सिविल जज (जू0डि0) बिसवॉ के न्यायालय से सिविल जज (सी0डि0) सीतापुर के न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथपत्र दिया गया है।

विपक्षीगण की ओर से आपत्ति 14क1 विरूद्व स्थानांतरण प्रार्थनापत्र दिया गया है तथा वाद निरस्त किये जाने का कथन किया है। समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुसार प्रश्नगत प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होना कहा है तथा स्थानांतरण प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्य झूठे व गलत होने का कथन किया है। उक्त पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना कहा है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3क1 पर सुना तथा सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से मात्र काल्पनिक रूप से प्रार्थनापत्र में पीठासीन अधिकारी के विरूद्व आरोप उल्लिखित किये गये है जो कि मौखिक कथनो पर आधारित है किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नही है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन तथ्यो पर आधरित है। अतः मामले के तथ्यो व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली को स्थानान्तरित करने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3क1 निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3क1 निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 07.04.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।

अजीत.

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.04.07 17:30:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,STP